अध्याय प्रथम

शोध परिचय

<u>अध्याय प्रथम</u>

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावाना :

अपनी बाल्यावस्था में जी रहा हर बालक कल का नागरिक है जिनके विकास पर देश की भावी तकदीर एवं तस्वीर निर्भर करती है। इनका सर्वागीण विकास हो सके इसके लिए संबंधित परिवार, समुदाय, समाज तथा सरकार वांछित साधन तथा सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास करते है। परंतु सीमित साधनों तथा जनसंख्या बहुलता के चलते हर बच्चे को सुविधा उपलब्ध करवाना संभंव नहीं है। इस प्रकार जब किसी बालक की इच्छा एवं आकांक्षा संभंव नहीं नही हो पाती तो उसके मन–मस्तिष्क में विद्रोह हीनता एवं दुःख की भावना उत्पन्न हो जाती है तथा वह वांछित इच्छाओं की पूर्ति हेतु सामाजिक मान्यताओं, नियमों, कानूनों का उल्लघंन कर बैठता है। एक स्वस्थ्य और संतुलित समाज के लिए परम आवश्यक है कि वो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करे।

मानव समाज में सरचनात्मक व सांस्कृतिक विभिन्नताएँ सार्वकालिक व सार्वभौमिक है परंतु समाज में समस्याओं का स्वरूप व गंभीरता समान रूप से नहीं पाई जाती। सामाजिक समस्याएँ शाश्वत् हैं क्योंकि हर समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जानबूझकर या अज्ञानतावश या परिस्थितियों के दबाब में आकर ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं जो समाज की व्यवस्था मान्य नियमों एवं वांछित व्यवहार के प्रतिमानों के न केवल विपरीत होते हैं वरन् सामाजिक हितों की पूर्ति में बाधक सिद्ध होते हैं।

समाज के मानदंडों से विचलित होना विभिन्न रूपों में पाया जाता है उपेक्षित बच्चे भी इसी की एक कड़ी है। कई परिवारों में कई कारणों से बच्चे उपेक्षित रह जाते हैं। उनके कोमल मन सुरक्षा व प्यार .के स्थान पर उपेक्षा और दुत्कार पाकर आहत होते हैं। ऐसे में वे या तो स्वयं अपराध के रास्ते पर चलना सीखते हैं या दूसरों के द्वारा के द्वारा शोषित किये जाते हैं कई बार ऐसे बच्चे घर छोडकर भाग जाने पर पुलिस द्वारा या अन्य

स्थानों पर लावारिस पाये जाने पर पुलिस द्वारा पकडकर बाल संरक्षण गृहों में पहुँचा दिये जाते हैं।

कोई बच्चा उपेक्षित न हो इसके लिए यह जानना सबके लिए आवश्यक है कि बच्चा एक आत्मा है, जिसका अपना एक अस्तित्व है, अपनी प्रकृति है, अपनी क्षमताएँ हैं ओर जिसे इन तक पहुंचने के लिए सहायता दी जानी चाहिए ताकि वह स्व–स्वरूप को पहचान सके, सच्ची परिपक्वता प्राप्त कर सके अपनी शारीरिक और प्राणिक ऊर्जा की पूर्णता को प्राप्त कर सके और अपनी सत्ता के भावात्मक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शिखरों, गहराईयों और विशालताओं को छू सके।

1. उपेक्षित बालिकाओं का अर्थ एवं परिभाषा :

ऐसे बच्चे जो घर में व समाज में उपेक्षा के शिकार होने के कारण सुधारात्मक संस्थाओं में रह रहे है उपेक्षित बच्चे कहलाते है उपेक्षित बच्चों के बारे में कोई निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा नहीं है क्योंकि सामाजिक मान्यता, समाज, स्थान तथा देश विशेष की संस्कृतियों में काफी भिन्नताएँ हैं। अतः उपेक्षित बच्चों के प्रकार एवं प्रकृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य पाया जाता है। विद्धानों द्वारा शिक्षा कोशें एवं विश्वकोश द्वारा दी गई परिभाषाये निम्नानुसार है :–

शिक्षाकोश में कहा गया है :–

उपेक्षित बच्च वो हैं जिन्हें माता–पिता, अभिभावक या समाज, सुरक्षा, अनुशासन व मनोवैज्ञानिक दिशा–निर्देश न दे सकें।''

मनोविज्ञान के विश्वकोष के अनुसार :–

बच्चे की उपेक्षा उस समय आरंभ हो जाती है जबकि उसके संरक्षक जानसूझकर या आसामान्य असावधानीवश बच्चे को वो दुःख भोगने के लिए विवश करते हैं जिससे बच्चे बच सकते थे। यदि वो संरक्षक सावधान होते या उन बातो को निर्देशित नहीं कर पाते जो बच्चे के शारीरिक बोद्धिक और संवेगात्मक विकास के लिए परम आवश्यक समझी जाती है।

1988 में उपेक्षित बच्चों पर हुए राष्ट्रीय सेमिनार में कहा गया :–

सेमिनार में उपेक्षित बच्चों की निम्न परिभाषा दी गई :–

'' उपेक्षित बालक वे होते है जिनको जानबूझकर आहत किया गया है उनक साथ गलत व्यवहार, माता–पिता, सरंक्षक, नियोक्ता या अन्य सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। जिसका प्रभाव उनके शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास पर स्थायी और अस्थायी रूप से पड़ता है जिससे वे मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते है।

ऊपर दी गई परिभाषाओं से उपेक्षित बालिकाओं के विषय में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं :–

1. उपेक्षित बालिका घर में व समाज में उपेक्षा की शिकार होती है।
2. यह उपेक्षा मानसिक रूप में तथा शारीरिक रूप में दोनों ही तरह से होती है।

1.2 अध्ययन की अवाश्यकता :–

बढ़ती जनसंख्या तथा घटते संसाधनों के इस युग में कठिन प्रतिस्पर्धा ने मानव को मशीनी आर्थिक मानव बना दिया है। आज के इस व्यवस्तम युग में न तो व्यक्ति के पास स्वयं के लिए समय है और नही परिवार के लिए। आसमान छूती महँगाई ने परिवार के हर सदस्य को वक्त से पहले परिपक्व बना दिया है और कई अवसरों पर बच्चा भी घर का आर्थिक सदस्य बनने के लिए विवश हो जाता है अथवा कर दिया जाता है। बच्चों के साथ बिताय जान वाले समय की जगह आफिस के काम ने ले ली है, जिससे बच्चों को मिलने वाली आत्मीयता तथा परवरिश में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप बच्चे अपने आपको उपेक्षित महसूस करते है तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बाधित हो जाती है। जिसके कारण उनका व्यवहार सही पथ से विचलित होने लगता है जो उनके अवांछित व्यवहार का स्त्रोत होता है।

आज का मानव समाज द्रुतगामी हो गया है, तेजी से हो रहे विकास के साथ–साथ अनेक बुराइयाँ भी तेजी से बढ़ रही है जो सर्वाधिक बच्चों और किशोरों को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण आज समाज में बच्चों का व्यवहार, सामाजिक मान्यताओं मूल्यों के प्रतिकूल होता जा रहा है तथा समाज में उपेक्षित बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है।

एक किशोर बालिका के उपेक्षित होने से न केवल समाज, देश के वर्तमान को नुकसान पहुँचता है अपितु वर्तमान के साथ–साथ भविष्य भी प्रभावित होता है।

अतः समाज का अस्तित्व एवं सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा एवं संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि किशोर बालिकाओं की उपेक्षित होने की संख्या वृद्धि दर को रोका जाए तथा जो किशोर बालिकाएँ उपेक्षित हैं, उनको जीवन और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाये। उपर्युक्त हानिकारक मनोवृत्ति से किशोर बालिकाओं को रेकने तथा उनके भविष्य को सुधारने के लिए यह अत्यावश्यक है कि किशोर बालिका गृह की उपेक्षित बालिकाओं के लिए कौन–सी परिस्थितियां जिम्मेदार है? विभिन्न उपेक्षित बालिकाओं के क्या लक्षण है?। अभिलक्षण हैं? क्या उनमें कोई उभयनिष्ठ लक्षण हैं जो सभी प्रकार की उपेक्षित किशोर बालिकाओं में पाये जाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तरों के बिना किशोर उपेक्षित बालिकाओं की बढ़ती संख्या के विरूद्ध विजयश्री संभव नहीं है।

सभी को ज्ञात है कि सन् 1986 में किशोर न्याय अधिनियम (बालको की देखरेख और संरक्षण) बच्चों के कल्याण के लिए बनाया गया। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा, चिकित्सा, विकास और पुर्नवास हेतु प्रेरित किया गया। इसके द्वारा यह माना गया कि उपेक्षित बच्चे समाज रूपी शरीर का एक विकारयुक्त अंश है और समाज के स्वस्थ विकास के लिए उनका उपचार करके उनको मुख्यधारा से जोड़ना एक अहम कार्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बच्चों को मौटे तौर पर दो भागो में बाँटा गया है :–

1. उपेक्षित बच्च :– एस बच्चे सामाजिक परिस्थितियों के शिकार होते हैं।
2. बाल अपराधी :– ऐसे बच्चे अपराध में शामिल होते हैं।

इसके अतिरिक्त इस एक्ट के तहत मध्यप्रदेश में हर दो जिले पर एक किशोर न्यायालय की स्थापना की गई है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में ''संप्रेक्षण गृह'' और ''किशोर गृह'' की स्थापना की गई है।

लघुशोधकर्ता द्वारा अध्ययन से पूर्व '' किशोर बालिका गृह'' नेहरू नगर, भोपाल जाया गया तथा वहां रहने वाली उपेक्षित बालिकाओं को देखकर महसूस किया गया कि उनके यहाँ रहने में भौतिक और मानवीय परिवेश ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। बालिका के समाजीकरण की प्रक्रिया की चूक और त्रुटियों के फलस्वरूप आज ये

उपेक्षित बालिकायें किशोर गृह में रह जाती हैं। ये बालिकाएं बाल–सुलभ जीवन से वंचित रह जाती है और बचपन में ही इन्हें अनेक समस्याओं से जूझते हुए दिन बिता देना पड़ता है। जिस उम्र में अच्छा भोजन करना, खेलना, अच्छी आदतें सीखना, पढ़ाई करना, सबका प्यार पाना–बच्चों का अधिकार होता है उसी उम्र में ये बालिकायें अपने सभी अधिकारों से वंचित हो जाती है और इसलिए इन सब से क्षुब्ध होकर ये बालिकाएं घर से भाग जाती हैं, या बुरी संगत में पड़कर अपराधी प्रवृत्ति की हो जाती है या पडकर बाल संरक्षण गृहों में पहुंचा दी जाती है।

इस तरह उपेक्षित बच्चों की समस्या (विशेषकर उपेक्षित बालिकाओं की) एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है और यह सिद्ध हो जाता है कि उपेक्षित बालिकाओं की समस्या समाज की एक प्रमुख समस्या है जिसके बारे में ये जानने की आवश्यकता है कि किन कारणों से ये किशोरावस्था की बालिकाएँ उपेक्षित हुई? क्या कारण थे जिससे ये बालिकाएँ घर छोडने पर विवश हो गई? किस तरह से बालिकाएं इस संस्था में आई तथा इस संस्था में इनको क्या शैक्षिक सुविधाएं, व्यावासायिक प्रशिक्षण एवं पुर्नवास संबंधी सुविधाएं दी जा रही है? इत्यादि कुछ प्रश्न अध्ययनकर्ता के समक्ष उपस्थित हुए जिनको जानने के लिए प्रस्तुत अध्ययन किया जा रहा है जिससे इन उपेक्षित बालिकाओं की समस्या का पता लगाकर उनके निदान के उपाय बताये जाएं, जिससे इस बुराई को मिटाकर इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोडा जा सके।

इस लघुशोध की मदद से अन्य अनुसंधानकर्ताओं तथा सामाजिक कार्यकत्ताओं के साथ विद्वान समाजशास्त्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सबके कदम कुछ इस प्रकार मिलकर आगे बढ़े, ताकि भविष्य में इस प्रकार के शोध की समाज को आवश्यकता न हो तथा सदा के लिए ''उपेक्षित बालिका'' इस प्रवृत्ति का निदान हो सके।

1.3 शोध कथन

''किशोर बालिका गृह की उपेक्षित बालिकाओं का व्यक्तिगत अध्ययन''।

1.4 शोध के उद्देश्य :–

प्रस्तुत लघुशोध के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :–

1. उपेक्षित बालिकाआं के समाज मान्य नियमों मान्यताओं एवं मूल्यों के प्रतिकूल किये गये व्यवहार के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना।
2. किन कारणों/कारकों ने उपेक्षित बालिकाओं के व्यवहार पर प्रभाव डाला, उसका पता लगाना।
3. उपेक्षित बालिकाओं के मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन करना।
4. उपेक्षित बालिका के क्रियाकलापों का पता लगाना।
5. बालिका का अकेले में और समूह के साथ व्यवहार का पता लगाना।
6. बालिका के परिवार और माता–पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करना और यह ज्ञात करना कि बालिका को किस प्रकार की उपेक्षा सहन करनी पड़ी।
7. किशोर बालिका गृह में बालिकाओं के सुधार के लिए क्या शैक्षिक और व्यवसायिक सुविधाएं दी जा रही हैं, उसका पता लगाना।

1.5 शोध प्रश्न :

प्रस्तुत शोध के लिए निम्नलिखित शोध प्रश्न किये गये हैं :–

1. उपेक्षित बालिकाओं के मनोवैज्ञानिक व्यवहार के लक्षण कौन–कौन से हैं ?
2. उपेक्षित बालिकाओं के इस प्रकार के व्यवहार के लिए, आचरण के लिए कौन–कौन से कारक उत्तरदायी हैं ?
3. विभिन्न उपेक्षित बालिकाओं के व्यवहारिक गुणों में क्या समानताएं है ?
4. उपेक्षित बालिकाओं के लिए कौन कौन से सुधारात्मक शैक्षणिक कार्यक्रम हो सकते हैं ?

1.6 लघु शोध में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का शोध के परिप्रेक्ष्य में क्रियात्मक परिभाषीकरण :

प्रस्तुत लघुशोध में कुछ शब्दों का उपयोग उनके व्यापक अर्थों मे न करते हुए शोध की आवश्यकतानुसार सीमित अर्थों में किया गया है, ऐसे शब्द तथा उनसे संबंधित अर्थ निम्नानुसार है :–

1) उपेक्षित बालिका :

इस लघुशोध में उपेक्षित बालिका से तात्पर्य उस बालिका से है जो घर में व समाज में उपेक्षा के शिकार होने के कारण "किशोर बालिका गृह" में रह रही है जहॉ उसकी देखरेख और संरक्षण किया जा रहा है।

2. किशोर बालिका गृह :

किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) 1986 की धारा 34 के द्वारा किशोर बालिका गृह की स्थापना 1989 में रायपुर में की गई जो स्थानान्तरित होकर 1990 में वैशाली नगर भोपाल में आ गया। वर्तमान में किशोर बालिका गृह नेहरू नगर, भोपाल में है। ये बालिका गृह किशोर न्याय अधिनियम 1986 की धारा 9 के अंतर्गत संचालित है। धारा–9 के अंतर्गत केवल उपेक्षित बालक और बालिका आते हैं। किशोर बालिका गृह में बालिकाएँ किशोर कल्याण बोर्ड, बाल कल्याण समिति के माध्यम से आती हैं। इस गृह में 18 वर्ष होने तक बालिकाएं रहती हैं हर दो जिलों पर एक "किशोर न्यायालय" की स्थापना की गई है। इन न्यायालय में पुलिस द्वारा पकड़कर लाये गये बच्चों को पहुंचाया जाता है। इसके बाद निर्णय होने के पश्चात् बालिकाओं को "किशोर बालिका गृह" भेजा जाता है।

1.7 किशोर बालिका गृह में रह रही बालिकाओं के प्रकार :–

किशोर बालिका गृह के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की बालिकाओं को रखा जाता है :–

1. भिक्षा मांगते हुए पाई जाने वाली बालिकाएं ।
2. जिसे गृह विहीन या किसी निश्चित स्थान पर निवास स्थान के और जीवन निर्वाह के किसी दृश्यमान साधन के बिना पाया जाता है।
3. जो किसी व्यक्ति के साथ रहती हैं (जो उस बालिका का संरक्षक है या नहीं) और उस व्यक्ति ने
   - 3.1 बालिका को मार डालने या क्षतिग्रस्त करने की धमकी दी है
   - 3.2 प्रश्नगत बालिका भी उस व्यक्ति द्वारा मार डाली जायेगी, उसका दुरूपयोग किया जाएगा या उसकी उपेक्षा होगी।

4. जिसका मानसिक या शारीरिक रूप से रोगी होने का दावा किया जाता है या रोगग्रस्त है जो म्यादी बीमारियों या ऐसी असाध्य बीमारियों से ग्रस्त रहती है और उसको सहारा देने वाला या देखरेख करने वाला कोई नहीं है।
5. जिसके माता–पिता/संरक्षक है परंतु बालिका पर नियंत्रण रखने के अयोग्य या असमर्थ है।
6. जिसके माता–पाता नहीं है और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या उसके माता–पिता ने उसका परित्याग कर दिया है या जो खोयी हुई भागी हुई बालिकाएं और जांच के बाद जिसके माता–पिता का पता नहीं लगाया जा सकता।
7. जिसके लैंगिक दुरूपयोग या अवैध कार्यों के आशय से घोर दुरूपयोग किया जा रहा है, यातना दी जा रही है या शोषण किया जा रहा है या ऐसा किया जाना संभावित है।
8. जिसे असुरक्षित पाया जाता है और मादक वस्तु के दुरूपयोग या दुर्व्यवहार में लगा दिये जाने की संभावना है।
9. जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल अशांति या दैवी आपदा की शिकार हैं।

1.8 किशोर बालिका गृह – भोपाल का सामान्य परिचय :–

किशोर बालिका गृह में ,रहने वाली उपेक्षित बालिकाओं की संख्या कुल 62 हैं जिसमें 52 सामान्य बालिकायें एवं 10 मंद बुद्धि बालिकायं निवास करती है। इन सामान्य बालिकाओं में से 15 का व्यक्तिगत अध्ययन लघुशोध में किया गया है। सामान्य बालिकाओं को सतगुरू उच्चतर माध्यमिक शाला, नेहरू नगर, भोपाल में अध्ययन हेतु भेजा जाता है। मंदबृद्धि बालिकाओं को "दिग्दर्शिका" संस्थान में भेजा जाता है। सरकार की ओर से पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को अनुदान दिया जाता है जिसके माध्यम से यह संस्था चलाई जाती है।

संस्था का स्टॉफ :–

संस्था के स्टॉफ में एक अधीक्षक श्रीमती माया त्रिपाठी मैडम हैं दो परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर है :

1) श्रीमती अंतोनिया इक्का मैडम

2) श्री महेश दुबे सर

मुख्य लिपिक – श्रीमती गीता श्रीवास्तव है।

सहायक ग्रेड–03 श्रीमती मीनाक्षी कौल मेडम है।

सिलाई प्रशिक्षक, क्राफ्ट निदेशक, दो शिक्षक, मुख्य केयर टेकर, तीन सहायक केयर टेकर, दो भृत्य,एक मैट्रन है। अन्य लोगों में रसोइया, हेल्पर, चौकीदार, स्वच्छक आदि हैं। इकसे अलावा एक अंशकालीन चिकित्सक हैं जो बालिकाओं का चिकित्सकीय परीक्षण करते है।

किशोर बालिका गृह की स्थापना के उददेश्य :–

संस्था की स्थापना के समय इसके निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये :–

1. किशोर कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रविष्ट बालिकाओं के लिए आवास सुविधा, भरण–पोषण, शिक्षण प्रशिक्षण, चिकित्सा, मनोरंजन, खेलकूद एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना।
2. चरित्र एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना।
3. भौतिक एवं योग्यताओं के विकास की सुविधा देना।
4. व्यक्तित्व के विकास की व्यवस्था करना।

1.9 लघु शोध का परिसीमन :

उपेक्षित बच्चों की समस्या अपने आप में एक व्यापक क्षेत्र है। इसके सभी पहलुओं पर प्रकाश डालना तथा उसकी सभी बारिकीयों का उल्लेख किसी एक शोध में संभंव नहीं है। चूंकि प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति लधु शोध की है, जिसको एक निश्चित दायरे तथा अल्प समय में पूर्ण करना है। अतः समय सीमा व शोध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, लघुशोध को प्रभावशाली एवं सारगर्भित बनाने हेतु निम्नलिखित परिसीमाओं का पालन किया गया है :–

2. स्थान के आधार पर –

इस लघु शोध में संपूर्ण मध्यप्रदेश में स्थित किशोर बालिका गृह से नहीं अपितु नेहरू नगर स्थित किशोर बालिका गृह की उपेक्षित बालिकाओं को ही लिया गया है।

3. मनौवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर :–

प्रस्तुत लघु शोध में सिर्फ चार मनौवैज्ञानिक परीक्षण लगाये गये है :–

प्रथम :– बुद्धि परीक्षण हेतु

द्वितीय :– व्यक्तित्व परीक्षण हेतु,

तृतीय :– समायोजन परीक्षण हेतु

चतुर्थ – किशोर अभिरूचि

समायोजन के कारण इनकी वैधता एवं विश्वसनीयता की जांच नहीं की गई है।

4. उपेक्षित बालिका के विभिन्न आयामों के आधार पर –

प्रस्तुत अध्ययन में सिर्फ उपेक्षित बालिका के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान की गई है।

5. उम्र के आधार पर –

किशोर बालिका गृह की 13 से 15 वर्ष की 15 उपेक्षित बालिकाओं का ही अध्ययन किया गया है।

2. शोध का महत्व –

हर चार घंटे में 13 बलात्कार हो रहे हें इस प्रकार साल में लगभग 7500 बलात्कार के मामले होते हैं। लगभग 42 लड़कियों को एक दिन में अगवा तथा 15000 लड़कियों को साल भर में अगवा किया जाता है। घरेलू वातावरण पारिवारिक कलह, सौतेले माता/पिता द्वारा अत्याचार, मारपीट रिश्तेदारो या सगे संबंधियों द्वारा यौन शोषण और भी अनगिनत कारण है जिनसे घरों के भीतर और दहलीज के बाहर लडकियां

निरंतर शोषित हो रही है, उपेक्षित हो रही है। इस प्रकार उपेक्षित बालिकाओं का प्रतिशत समाज में बढता जा रहा है जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को दूषित करता जा रहा है। मूल्यों और मान्य5ताओं को नष्ट कर रहा है। अतः ऐसे में उपेक्षित बालिकाओं के कारणों, लक्षणों, प्रकारों का गहराई के साथ अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

इसी प्रकार का एक प्रयास इस लघुशोध के माध्यम से किया जा रहा है। यह शोध शिक्षाविद्, समाजविद्, कानूनविद् के साथ–साथ नये अनुसंधानकर्ताओं को इस क्षेत्र में गहन विचार एवं शोध करने के लिए प्रेरित करेगा, जिसमें उपेक्षित बालिकाओं उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ–साथ देश के मूल्यों की रक्षा की जा सके तथा उपेक्षित बालिकाओं को **''उपेक्षित''** जैसे शब्द से मुक्त कराकर सामान्य बालिका बनाया जा सके।